न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **11/2018**

अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री पंकज गोयल पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द गोयल(विक्रेता डायरेक्टर निर्माता विक्रेता फर्म) मैसर्स वर्धमान व्हीट प्रोडक्टस प्रा.लि., ई–121–122 इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, खारा, जिला बीकानेर
   निवासी– रिहायसी इण्ड. एरिया, रानीबाजार बीकानेर
2. श्री विजय कुमार (डायरेक्टर निर्माता विक्रेता फर्म) मैसर्स वर्धमान व्हीट प्रोडक्टस प्रा.लि., ई–121–122 इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, खारा, जिला बीकानेर
   निवासी– रिहायसी इण्ड. एरिया, रानीबाजार बीकानेर
3. मैसर्स वर्धमान व्हीट प्रोडक्टस प्रा.लि., ई–121–122 इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, खारा, जिला बीकानेर (निर्माता विक्रेता फर्म)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी

2– अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से – श्री राजेश लदरेचा अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 07.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 22.02.2018 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स वर्धमान वहीट प्रोडेक्ट्स प्रा.लि. ई– 121–122 इण्डट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, खारा, बीकानेर (विक्रेता डायरेक्टर निर्माता विक्रेता फर्म) श्री पंकज गोयल पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द गोयल के यहां फर्म के निरीक्षण के दौरान 50 पोली पैक्ड थैली सूजी (श्रीपारस) पोली पैक्ड 500 ग्राम का निर्माण कर आम जनता को विक्रय कर रहे थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस) के पैकेटों में से 500 ग्राम के 4 पोली पैक्ड थैली सूजी(श्रीपारस) वास्ते नमूना संग्रह हेतु विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 100/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–964 अंकित कर नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। क्रय की गई 4 पोली पैक्ड थैलियों को चार प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बे पर गौंद से चिपकाया तथा प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बे को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार उक्त पैकेटों को सील चपड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर,

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./374/Act/ 2018/469 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री राजेश लदरेचा अधिवक्ता ने जवाब एवं वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Suji (Sri Paras) bearing Code No. and Sr. No. AB-964 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(7) and 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी कम्पनी के सजी(श्री पारस) का नमूना संख्या ए.बी.–964 दिनांक 22.02.18 मिसब्राण्ड होने का आरोप है, जो गलत है। प्रार्थी के नमूना पर मिथ्या छाप वाली होने का आरोप है। प्रार्थी के नमूने को जांच उपरान्त मिसब्राण्ड आधार बनाकर कार्यवाही की गई है, जबकि लेबल के अनुसार खाद्य सामग्री पैकेट में थी, खाद्य सामग्री किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं थी, ना ही मानव जीवन को क्षति पहुंचाने वाली ही थी। पैकेट पर लेबल के शब्दों साफ व स्पष्ट नियमानुसार अंकित थे प्रिन्टिंग के दौरान शब्द का फॉन्ट आंशिंक रूप से छोटा होने की जानकारी के मिलते ही सभी पैंकिंग को नष्ट कर दिया गया, लेकिन सैम्पल के रूप में भेजने वाले पैकेट पुरानी प्रिन्टिंग के ही रह गये। बाद में सभी पैकेट पुनः प्रिन्ट करवाकर ही उत्पादन का विक्रय किया गया व आज भी किया जा रहा है, कभी भी त्वरित रूप से निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पैंकिंग मिसब्राण्ड से किसी भी प्रकार की गम्भीर क्षति उपभोक्ता को नहीं है, दूसरा जानकारी प्राप्त होते ही उसमें सुधार कर दिया गया है। अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि उनके प्रति उदारतापूर्वक विचार करते हुवे प्रार्थी कम्पनी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को ड्रोप फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गय खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./374/Act/ 2018/469 दिनांक 22.03.2018 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Suji (Sri Paras) bearing Code No. and Sr. No. AB-964 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(7) and 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस)(मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **15,000/–** अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. अप्रार्थीगण श्री पंकज गोयल पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द गोयल(विक्रेता डायरेक्टर निर्माता विक्रेता फर्म), श्री विजय कुमार(डायरेक्टर निर्माता विक्रेता फर्म) तथा मैसर्स वर्धमान वहीट प्रोडक्ट्स प्रा.लि., ई– 121–122 इण्डट्रीयल ग्रोथ सेन्टर खारा, बीकानेर द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीपारस)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (ा) में दोषी है। अतः आरोपित शास्ति रू. 15,000/– अखरे पन्द्रह हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 समान रूप से आरोपित राशि रूप. बीस हजार का $^{1/3}$ शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 शास्ति राशि अदा करेगें।

8. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 3 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.)बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner